



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6, 2010/कार्तिक 15, 1932

No. 296]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6, 2010/KARTIKA 15, 1932

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

पुदुच्चेरी, 17 सितम्बर, 2010

1. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुच्चेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19), की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से (कृपया दिनांक 16 अगस्त, 2010 का पत्र सं. F. No. A. 12034/17/2010-ME III), देखें जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विनियमावली, 2008 का 40(1) और 40(2) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

(1) इन विनियमों को जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियमावली, 2010 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम दिनांक 4-8-2008 से प्रभावी माने जायेंगे।

2. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विनियमावली में विनियम 40, उप-विनियम (1) और (2) इसके परन्तुक सहित निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

1. 40(1) अध्यापन संकाय को छोड़कर संस्थान के कर्मचारियों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की आयु साठ (60) वर्ष होगी। परंतु आयुर्विज्ञान और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को सेवा में विस्तार मंजूर किया जा सकेगा मामलेवार आधार पर बासठ वर्ष की आयु तक उन व्यक्तियों के मामलों में अपवादस्वरूप प्रतिभा सम्पन्न है कारणों को लेखबद्ध करते हुए और संबंधित व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्यता तथा सतत दक्षता के अध्यधीन दी जा सकती है।

2. 40(2) संस्थान के अध्यापन संकाय के सदस्यों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की आयु पैंसठ (65) वर्ष होगी।

संस्थान के प्राधिकार द्वारा

डॉ. के. एस. वी. के. सुब्बा राव, निदेशक

[विज्ञापन III/4/330-जी/10/असा.]

टिप्पण : जिपमेर अधिनियम, 2008 के 14 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किये जाने के बाद जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की मूल विनियमावली 4 अगस्त, 2008 को जारी की गई थी। (कृपया फा. सं. A. 12034/18/2008-ME III देखें)।

JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH**NOTIFICATION**

Puducherry, the 17th September, 2010

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, with the previous approval of the Central Government (*vide* Letter No.F.No. A.12034/17/2010-ME. III dated 16th August, 2010), hereby makes the following regulations further to amend the Regulations 40(1) and 40(2) of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Regulations, 2008 namely :—

- (1) These Regulations may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 4-8-2008.

2. In the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research Regulations, 2008 in Regulation 40(1) and 40(2) along with proviso, shall be read as under:

1. 40(1) The age of superannuation of the employees of the Institute other than teaching faculty shall be sixty (60) years :
Provided that the medical and scientific specialists may be granted extension in service, on a case to case basis, up to the age of sixty-two years in the case of persons who are exceptionally talented for reasons to be recorded in writing and subject to physical fitness and continued efficiency of the person concerned.
2. 40(2) The age of superannuation of the members of the teaching faculty of the Institute shall be sixty-five (65) years.

By the Authority of the Institute
Dr. K. S. V. K. SUBBA RAO, Director
[ADVT III/4/330-G/10/Exty.]

Note : The principal regulation of Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, was first issued on 4th August, 2008 *vide* F. No. A. 12034/18/2008-ME. III following to the notification of the JIPMER Act, 2008 on 14th July, 2008.